कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त

बनाम

रमेश चंदर झा

31 जनवरी, 1990

[के.एन. सैकिया एवं एम. फ़ातिमा बीवी, न्यायमूर्तिगण]

दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 : धारा 2(17) एवं धारा 80 — कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त — क्या "लोक अधिकारी" है।

उत्तरदाता ने अपीलकर्ता, अर्थात् कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त, के विरुद्ध सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के अधीन अपेक्षित सूचना पत्र दिए बिना वाद संस्थित किया। अपीलकर्ता ने यह कहते हुए आपत्ति उठाई कि वह धारा 80 सी.पी.सी. में प्रयुक्त शब्द के अर्थ में एक लोक सेवक है और इसलिए वाद पोषणीय नहीं था।

विचारण न्यायालय ने उक्त आपत्ति को अस्वीकार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलकर्ता लोक अधिकारी नहीं है। उच्च न्यायालय ने भी उसी को पुष्टि प्रदान की।

इससे आहत होकर, अपीलकर्ता ने विशेष अनुमति से यह अपील प्रस्तुत की।

अपील स्वीकार करते हुए, इस न्यायालय ने—

अभिनिर्धारित किया : 1.1 अधीनस्थ न्यायालयों ने यह अभिनिर्धारित करने में त्रुटि की है कि कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त, दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 2(17) (एच) में प्रयुक्त शब्द के अर्थ में, "लोक अधिकारी" नहीं है। धारा 2(17)(एच) दी. प्र. सं. में प्रयुक्त शब्द "सेवा" का अर्थ केवल सरकार के आदेशों के अधीन होना या सरकार के नियंत्रण में होना मात्र नहीं हो सकता। "सेवा करना" का अर्थ है — "कार्य करना; जो अपेक्षित हो उसे संपादित करना"। सरकार द्वारा नियुक्त आयुक्त, अधिनियम तथा उसके अधीन बनाई गई योजना में परिकल्पित कार्यों का संपादन करता है। जब वह वास्तव में भविष्य निधि आयुक्त की हैसियत से कार्य कर रहा होता है, तब वह सरकार की सेवा में अधिकारी होना समाप्त नहीं करता। [184 ई-एफ; 185 एफ]

1.2 यह तथ्य कि आयुक्त को अपने कार्यकाल के दौरान वेतन एवं भत्ते सरकार से नहीं बल्कि कोयला खान भविष्य निधि से प्राप्त होते हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, जब

उसे सरकार की सेवा में अधिकारी के रूप में वर्णित किए जाने का प्रश्न उत्तरित किया जाता है। [184 डी]

2. वर्तमान मामले में, भविष्य निधि आयुक्त सरकार द्वारा नियुक्ति के कारण, अपने पद के नाते आयुक्त का पद धारण करता है। कोयला खान भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1948 की धारा 3 के अंतर्गत गठित बोर्ड के निपटान हेतु उसकी सेवाएँ अस्थायी रूप से उपलब्ध कराई गई हैं। अतः वह सरकार की सेवा में अधिकारी होना समाप्त नहीं करता। उसके वेतन का भुगतान निधि से किया जाना, उसके सरकारी कर्मचारी होने की स्थिति को परिवर्तित नहीं करता। [185 ई]

लिक्विडेटर ऑफ सोसाइटी संगखेड़ा कलां को-ऑपरेटिव बैंक, होशंगाबाद बनाम अयोध्या प्रसाद श्यामलाल, ***ए.आई.आर. 1939 नागपुर 232;*** *कुप्पु गोविंदा चट्टियार बनाम उत्तुकोट्टई को-ऑपरेटिव सोसाइटी,* ***ए.आई.आर. 1940 मद्रास 831;*** *विष्णु वासुदेव जोशी बनाम टी.एल.एच. स्मिथ पीयर्स,* ***ए.आई.आर. 1949 नागपुर 362;*** *कमिश्नर ऑफ वक़्फ़्स, बंगाल बनाम साहेबज़ादा मोहम्मद ज़हांगीर शाह,* ***ए.आई.आर. 1944 कलकत्ता 206;*** *तथा कमता प्रसाद सिंह बनाम क्षेत्रीय प्रबंधक, एफ.सी.आई.,* ***ए.आई.आर. 1974 पटना 376*** *— संदर्भित।*

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : 1982 की दीवानी अपील संख्या 1932।

पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी.आर. सं. 341 / 1980 (आर) में दिनांक 7.9.1981 को पारित निर्णय एवं आदेश से।

अपीलकर्ता की ओर से : एम.सी. महाजन, हेमंत शर्मा एवं सुश्री ए. सुभाषिणी।

उत्तरदाता की ओर से : एम.पी. झा।

न्यायालय का निर्णय प्रदान किया गया —

फातिमा बीवी, न्यायमूर्ति — यह विशेष अनुमति के माध्यम से अपील, पटना उच्च न्यायालय, रांची पीठ, रांची द्वारा दीवानी पुनरीक्षण सं. 341 /1981 में दिनांक 7.9.1981 को पारित निर्णय के विरुद्ध है। इस अपील में विचारण हेतु जो संक्षिप्त प्रश्न उत्पन्न होता है, वह यह है कि क्या कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त, दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 2(17) में परिभाषित "लोक अधिकारी" है।

संहिता की धारा 80 यह अपेक्षा करती है कि किसी लोक अधिकारी के विरुद्ध, उसके आधिकारिक हैसियत में किए गए किसी कृत्य के संबंध में वाद संस्थित करने से पूर्व, यथानिर्दिष्ट नोटिस दिया जाए। वर्तमान उत्तरदाता ने अपीलकर्ता—कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त—के विरुद्ध धारा 80 दी. प्र. सं. के अंतर्गत नोटिस दिए बिना वाद संस्थित किया। इस संबंध में की गई आपत्ति को विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया गया कि कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त लोक अधिकारी नहीं है। अपीलकर्ता के अनुसार, आयुक्त दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 80 में प्रयुक्त शब्द के अर्थ में लोक अधिकारी है और इसलिए वाद असंवीकार्य है।

"लोक अधिकारी" शब्द की परिभाषा दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 2(17) में दी गई है। लोक अधिकारी से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो खंड (क) से (ज) में वर्णित किसी भी विवरण के अंतर्गत आता हो। अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त, खंड (ज) में दिए गए विवरण के अंतर्गत आता है, जो इस प्रकार है:—

> "(ज) सरकार की सेवा या वेतन में प्रत्येक अधिकारी, अथवा किसी लोक कर्तव्य के निर्वहन हेतु फीस या कमीशन द्वारा पारिश्रमिक प्राप्त करने वाला प्रत्येक अधिकारी।

यह निर्धारित करने के उद्देश्य से कि क्या अपीलकर्ता उक्त विवरण के अंतर्गत आता है, कोयला खान भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1948 के प्रासंगिक उपबंधों का संदर्भ लेना आवश्यक है। धारा 3 के अंतर्गत, केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि की स्थापना हेतु कोयला खान भविष्य निधि योजना बना सकती है और उन कोयला खानों को विनिर्दिष्ट कर सकती है जिन पर उक्त योजना लागू होगी। निधि धारा 3क के अंतर्गत गठित बोर्ड में निहित होगी तथा उसी द्वारा प्रशासित की जाएगी। इस प्रकार गठित बोर्ड में (क) केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष; (ख) पदेन रूप से कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त; तथा धारा में विनिर्दिष्ट अन्य सदस्य सम्मिलित होते हैं। अन्य प्रासंगिक उपबंध इस प्रकार हैं:—

> "3ख. धारा 3क के अंतर्गत गठित न्यासी बोर्ड, उसे गठित करने वाली अधिसूचना में विनिर्दिष्ट नाम से, एक निकाय निगमित होगा, जिसकी शाश्वत उत्तराधिकारिता तथा एक सामान्य मुहर होगी और वह उक्त नाम से वाद दायर कर सकेगा तथा उसके विरुद्ध वाद दायर किया जा सकेगा।

3 ग. *अधिकारियों की नियुक्ति*— (1) केंद्र सरकार एक कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त की नियुक्ति करेगी, जो बोर्ड का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और बोर्ड के सामान्य नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अधीन रहेगा।

(2).....

(3).....

(4) कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त की भर्ती की पद्धति, वेतन एवं भत्ते, अनुशासन तथा सेवा की अन्य शर्तें केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएँगी और ऐसा वेतन एवं भत्ते निधि से अदा किए जाएँगे।"

अतः यह स्पष्ट है कि आयुक्त, केंद्रीय सरकार द्वारा बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त एक अधिकारी है। यद्यपि वह बोर्ड के सामान्य नियंत्रण के अधीन है, तथापि उसका अनुशासन तथा सेवा की शर्तें ऐसी हैं, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है। उसका वेतन एवं भत्ते निधि से अदा किए जाते हैं। आयुक्त, धारा 10 ग के अंतर्गत ऐसी शक्तियों के प्रत्यायोजन पर, जो अधिनियम या उसके अधीन बनाई गई योजना के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा प्रयोग की जा सकती हैं, उनका प्रयोग कर सकता है।

इन उपबंधों से यह स्पष्ट होता है कि सरकार की सेवा में अधिकारी, अपने पद के नाते, सरकार द्वारा आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है और वह लोक कर्तव्यों का निर्वहन करता है। यह तथ्य कि आयुक्त अपने कार्यकाल के दौरान वेतन एवं भत्ते सरकार से नहीं बल्कि निधि से प्राप्त करता है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, जब उसे सरकार की सेवा में अधिकारी के रूप में वर्णित किए जाने का प्रश्न आता है।

दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 2(17)(एच) में प्रयुक्त शब्द "सेवा" का अर्थ केवल सरकार के आदेशों के अधीन होना या सरकार के नियंत्रण में होना मात्र नहीं हो सकता। "सेवा करना" का अर्थ है— "कार्य करना; जो अपेक्षित हो उसका संपादन करना।" सरकार द्वारा नियुक्त आयुक्त, अधिनियम तथा उसके अधीन बनाई गई योजना में परिकल्पित कार्यों का संपादन करता है। जब वह वास्तव में भविष्य निधि आयुक्त की हैसियत से कार्य कर रहा होता है, तब वह सरकार की सेवा में अधिकारी होना समाप्त नहीं करता।

लिक्विडेटर ऑफ सोसाइटी संगखेड़ा कलां को-ऑपरेटिव बैंक, होशंगाबाद बनाम अयोध्या प्रसाद श्यामलाल, ए.आई.आर. 1939 नागपुर 232 में, पोलॉक, न्यायमूर्ति ने

अभिनिर्धारित किया कि लिक्विडेटर एक लोक अधिकारी है, क्योंकि वह सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और लोक कर्तव्यों का निर्वहन करता है। इस निर्णय को *कुप्पु गोविंदा चेट्टियार बनाम उत्तुकोट्टई को-ऑपरेटिव सोसाइटी, ए.आई.आर. 1940 मद्रास 831* में भिन्न ठहराया गया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया कि लिक्विडेटर के रूप में कार्यरत उप-पंजीयक लोक अधिकारी नहीं है। अपनाया गया तर्क यह था कि लिक्विडेटर के रूप में वह सरकार की सेवा में अधिकारी नहीं है।

विष्णु वासुदेव जोशी बनाम टी.एल.एच. स्मिथ पीयर्स, ए.आई.आर. 1949 नागपुर 362 में यह अभिनिर्धारित किया गया कि भारतीय शैक्षिक सेवा का सदस्य, जिसकी सेवाएँ राजकुमार कॉलेज, रायपुर में प्राचार्य के रूप में प्रतिनियुक्त की गई थीं, दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 2(17)(एच) के अंतर्गत लोक अधिकारी है और प्रतिनियोजन के कारण वह ताज की सेवा में होना समाप्त नहीं करता।

कमिश्नर ऑफ वक़्फ़्स, बंगाल बनाम साहेबज़ादा मोहम्मद ज़हांगीर शाह, ए.आई.आर. 1944 कलकत्ता 206 में न्यायालय ने कहा कि "लोक कर्तव्य" पदबंध का आशय ऐसे कर्तव्य से है जो जनता के कार्यों या सेवा से संबंधित हो, और "लोक" शब्द में जनता का कोई वर्ग या कोई समुदाय भी सम्मिलित हो सकता है। इस दृष्टि से, सामान्यतः ऐसे लोक न्यासों के संबंध में कार्य करने वाला वक़्फ़ आयुक्त लोक कर्तव्य का निर्वहन करता है और इसलिए संहिता की धारा 80 के अर्थ में लोक अधिकारी है।

कामता प्रसाद सिंह बनाम क्षेत्रीय प्रबंधक, एफ.सी.आई.,ए.आई.आर. 1974 पटना 376 में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि क्या भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी लोक अधिकारी हैं। निगम एक निगमित निकाय है। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सरकार में निगम सम्मिलित नहीं है और निगम के अधिकारी सरकार की सेवा में नहीं होते, अतः वे लोक अधिकारी नहीं हैं। ये वे प्रकरण हैं जहाँ संबंधित अधिकारी निगम में अपना पद सरकार का कर्मचारी होने के नाते धारण नहीं करता। वर्तमान मामले में, भविष्य निधि आयुक्त सरकार द्वारा नियुक्ति के कारण, अपने पद के नाते आयुक्त का पद धारण करता है। उसकी सेवाएँ अस्थायी रूप से बोर्ड के निपटान हेतु उपलब्ध कराई गई हैं। अतः वह सरकार की सेवा में अधिकारी होना समाप्त नहीं करता। उसके वेतन का भुगतान निधि से किया जाना, उसके सरकारी कर्मचारी होने की स्थिति को परिवर्तित नहीं करता। अतः हमारी यह राय है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने यह अभिनिर्धारित करने में त्रुटि की है कि कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त, दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 2(17)(एच) में प्रयुक्त शब्द के अर्थ में, लोक

अधिकारी नहीं है। तदनुसार, हम अपील स्वीकार करते हैं और प्रकरण को उपर्युक्त कथनों के आलोक में निस्तारण हेतु विचारण न्यायालय को प्रत्यावर्तित करते हैं।

अपील स्वीकार की गई।

जी.एन.

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।